न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर

पीठासीन अधिकारी डॉ0 आर्तिका शुक्ला आई.ए.एस

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या– 12/2019

1.श्री रमेश गोयल पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल
2. श्री राजेश कुमार गोयल पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल
समस्त जाति अग्रवाल निवासीगण क0नं0 494/15 विष्णुकिरण पथ
कोकिल कूज पालबीचला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश दिनांक 26.8.2019

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष के वकिल उपस्थित। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 पर उभय पक्ष को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के वकिल ने आवेदन पत्र में वर्णित कथनो को अपनी बहस में बताते हुए विशेष रूप से कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता स्व0 श्री कन्हैयालाल पुत्र भगवानदास गोयल की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात ग्राम किरानीपुरा तहसील व जिला अजमेर में अवस्थित है जो कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न जमाबंन्दी संवत 2072–75 से स्पष्ट है। उपरोक्त जमाबंदी संवत 2072–75 में वादग्रस्त आराजीयात खसरा नम्बर 1304 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 1305 रकबा 0.11 हैक्टर , खसरा नम्बर 1306 रकबा 0.02 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.19 हैक्अर प्रार्थीगण के पिता की खातेदारी काश्तकारी की आराजीयात है। जिसका वर्किंग खसरा नम्बर 1599 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा था । जिसको प्रार्थीगण के पिता स्व0 श्री कन्हैयालाल पुत्र भगवानदास के द्वारा धर्मेन्द्र सिह पुत्र भगवती प्रसाद सिह जाति राजपूत निवासी गुलाबबाडी अजमेर से जरिये पंजीकृत बैनामा दिनांक 06.01.1976 को खरीद किया था जो कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न पंजीबद्व बैनामे से स्पष्ट है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1599 रकबा 1 बीघा 3 बिस्वा को धर्मेन्द्र सिह पुत्र भगवतीप्रसाद सिंह ने रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रामपाल पुत्र रिखबा से जरिए पंजीबद्व बेनामा दिनांक 29.11.1972 को

Scanned by CamScanner

खरीद किया था । रिकार्डेड खातेदार काश्तकार रामपाल पुत्र रिखवा के द्वारा भूमि का बैचान धर्मेन्द्र सिह पुत्र भगवातीप्रसाद सिह जाति राजपूत को जरिए पंजीवद्व बैनामा दिनांक 29.11.1972 को किया था । जिसके पश्चात धर्मेन्द्र सिह पुत्र भगवतीप्रसाद सिह के द्वारा उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 1599 रकवा 1 बीघा 3 बिस्वा का बैचान प्रार्थीगण के पिता स्व0 श्री कन्हैयालाल पुत्र भगवानदास गोयल को जरिए पंजीवद्व बैनामा दिनांक 06.01.1976 को कर दिया गया । जिसका नामान्तकरण संख्या 104 दिनांक 25.10.1989 को तस्दीक किया गया । जिसमें स्पष्ट रूप से प्रथम केता धर्मेन्द्र सिह पुत्र भगवतीप्रसाद सिह तथा द्वितीय केता कन्हैयालाल पुत्र भगवानदास गोयल का नाम दर्ज किया हुआ है। उपरोक्त नामान्तकरण का अमल दरामद जमावंन्दी में करते समय जहां मात्र प्रार्थीगण के पिता स्व0 श्री कन्हैयालाल पुत्र भगवानदास का नाम दर्ज किया जाना चाहिए था, वहॉ त्रुटिपूर्ण रूप से नामानतकरण संख्या 104 दिनांक 25.10.1989 का अंकन करते हुए धर्मेन्द्र सिह पुत्र भगवतीप्रसाद को उपरोक्त आराजीयात में आधा हिस्सा दर्शा दिया गया जबकि धर्मेन्द्र सिह के द्वारा उपरोक्त भूमि का बैचान प्रार्थीगण के पिता को कर दिया गया था जो कि नामान्तकरण संख्या 104 से भलीभांति रूप से सिद्व है। इसके बावजूद भी राजस्व कर्मचारियो के द्वारा उपरोक्त नामान्तकरण का नोट गलत रूप से जमाबंन्दी में दर्ज करते हुए धर्मेन्द्र सिह पुत्र भगवतीप्रसाद सिह का नाम प्रार्थीगण के पिता के साथ जोड दिया गया हे जो कि टंकण त्रुटिवश हुआ है । जिसकी दुरूस्ती किये जाने के लिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। प्रथम दृष्टया ही नामान्तकरण संख्या 104 दिनांक 25.10.1989 में दर्ज इबारत एवं उपरोक्त नामानतकरण का अमल दरामद जमाबंदी में करते समय हुई टंकण त्रुटि की श्रेणी में आती है। जिसकी दुरूस्ती के लिए उपरोक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय की सेवा में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः श्रीमान्के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर नामान्तकरण संख्या 104 दिनांक 25.10.1989 में दर्ज इबारत के अनुसार हाल जमाबंदी संवत 2072–75 में दर्ज खसरा नम्बर 1304, 1305, 1306 कुल किता 3 कुल रकबा 0.19 हैक्टर धर्मेन्द्र सिह पुत्र भगवतीप्रसाद सिह का नाम हजफ कर सम्पूर्ण आराजीयात प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जावे ।

अप्रार्थी की और से राजकीय अधिवक्ता ने अपने बहस में निवेदन किया गया कि प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र 136 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम की परिधि में नही होने से व आवश्यक पक्षकार संयोजित नही करने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया, पत्रावली का अवलोकन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण के साथ विवादित भूमि से सबंधित किसी भ दस्तावेज की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नही की गई है ना ही

उप खण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

मिलान क्षैत्रफल प्रस्तुत किया गया है साथ ही विक्रय पत्रो की जो फोटो प्रति प्रस्तुत की है वह अपठनीय है। इस प्रकार फोटो प्रतियॉ साक्ष्य में ग्राहय नही है। इसके अतिरिक्त प्रार्थीगण द्वारा 1/2 हिस्से के रिकार्डेड खातेदार श्री धर्मेन्द्र सिह पुत्र भगवतीप्रसाद सिह द्वारा जो की वर्किंग जमावंदी संवत 2041 व वर्तमान जमाबंदी के अनुसार 1/2 हिस्से का खातेदार दर्ज है का नाम विलोपित कर अपने नाम अंकन करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है परन्तु उक्त तथ्यों की प्रकरण प्रस्तुत किए जाने से पूर्व ही विधिवत जानकारी होने के उपरान्त भी आवश्यक पक्षकार संयोजित नही किया गया है। इस कारण प्रार्थी का प्रकरण अन्तर्गत आदेश 1 नियम 9 सीपीसी के परन्तुक के अनुसार विधि द्वारा वर्जित है साथ ही वर्किंग जमावंदी 2041 के आधार पर ही राजस्व एजेन्सी द्वारा वर्तमान जमावंदी में इन्द्राज किया गया है इस कारण प्रार्थीगण का प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की परिधि में नही होकर पक्षकारो के हक अधिकार से सबंधित होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र पोषणीय नही होने से खारिज योग्य प्रतित होता है।

परिणामतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 उपरोक्त विवेचनानुसार अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण प्रभावित व्यक्तियों को पक्षकार संयोजित करते हुए विवादित भूमि के सबंध में नियमित वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतत्र है।

आदेश आज दिनांक 26.8.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अजमेर
डॉ0 आर्तिका शुक्ला
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अजमेर

Scanned by CamScanner